अध्याय - II
निष्पादन लेखापरीक्षा

शहरी विकास विभाग

2.1 अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएँ

निष्पादन लेखापरीक्षा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली "अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना" एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना" नामक दो योजनाओं को शामिल किया गया है जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में धनराशि शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षिप्त रूप में नीचे दिए गए हैं।

मुख्य बिन्दु

शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना पूँजीगत सम्पति के विकास के लिए प्राप्त सहायता अनुदान को अनियमित रूप से परिवर्तित किया गया एवं दूसरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.6)

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा परिकल्पित सभी 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में दिसम्बर 2018 तक पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने की रणनीति की योजना के अभाव में, 2013-18 के दौरान केवल 353 अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति की गई थी एवं मार्च 2018 तक 567 अनाधिकृत कॉलोनियाँ अभी भी ट्यूबवैल/हैंडपंपो पर निर्भर थीं एवं उनके पीने योग्य पानी की जरुरतों के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल आपूर्ति पानी के टैंकरो से की गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.7)

मंडलों द्वारा पानी एवं सीवर की पाइप लाइन बिछाने का कार्य असमन्वित तरीके से नियोजित एवं कार्यान्वित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किया गया व्यय निष्फल रहा एवं इच्छित लाभ प्राप्त नहीं हो सके थे।

(पैराग्राफ 2.1.7.1 तथा 2.1.8.1)

दिल्ली-2031 के लिए सीवरेज मास्टर प्लान के चरण-1 के 34 निर्माण कार्यों को 2016 तक पूरा किया जाना था परंतु जुलाई 2018 तक केवल 11 निर्माण कार्य पूरे किए गए थे एवं 20 निर्माण कार्य प्रगति पर थे तथा तीन अभी भी पूर्व-निष्पादन स्तर में थे। मार्च 2018 तक 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1573 अनाधिकृत कॉलोनियों (88 प्रतिशत) में सीवरेज सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी एवं इन 1573 अनाधिकृत कॉलोनियों से निकला गंदा पानी एवं कूड़ा-करकट पानी की नालियों में बह गया एवं अपने अनुपचारित रूप में अंततः यमुना नदी में मिल गया।

(पैराग्राफ 2.1.8)

दिल्ली जल बोर्ड ने वन विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति एवं सीवर लाइन के निर्माण कार्यों की योजना बनाई तथा उनका निष्पादन किया, जोकि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण कार्यों के लिए शहरी विकास विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

(पैराग्राफ 2.1.7.2 एवं 2.1.8.2)

प्राक्कलनों के बनाने एवं उनके अनुमोदन तथा निर्माण कार्यों के सौंपे जाने एवं निष्पादन में विलंब, अयोग्य बोलीकर्ताओं का चयन और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने में कमियाँ थीं।

(पैराग्राफ 2.1.9 एवं 2.1.10)

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल 657 पानी के टैंकरों में से 250 टैंकरों (38 प्रतिशत) को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली परियोजना के अंतर्गत निर्धारित निगरानी उपकरण जैसे कि जीपीएस, जल स्तर मीटर/प्रवाह मीटर/क्लोरीन मीटर आदि के बिना संचालित किया गया।

(पैराग्राफ 2.1.11)

2.1.1 प्रस्तावना

अनाधिकृत कॉलोनी का तात्पर्य ऐसी कॉलोनी/ आसपास के क्षेत्र को शामिल करते हुए विकास से है, जहाँ इन कॉलोनियों के निवासियों द्वारा ले आउट प्लान/ बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन संबंधित एजेंसी दि.वि.प्रा./दि.न.नि. द्वारा नहीं लिया गया है। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियाँ उस समय से अस्तित्व में हैं जब 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) की स्थापना के साथ दिल्ली के विकास की योजना शुरू हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने दिसंबर 1996 में भारत सरकार को नियमितीकरण के लिये नीति, नियम एवं शर्तें निर्धारित करने के लिये एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने हेतु निर्देश दिया। लंबी खींची प्रक्रिया के उपरांत, दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने मार्च 2008 में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की। 2008 के विनियमों की अनुपालना में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची विनियमित करने के लिए अंतिम रूप दिया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 895 अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिये तथा विनियम 2008 के संदर्भ में उनके नियमितीकरण के लिए अधिसूचना जारी की। हालांकि, इन 895 अनाधिकृत कॉलोनियों में से कोई भी इन कॉलोनियों में सीमा निर्धारण नहीं होने के कारण नियमित नहीं की जा सकी। दिसंबर 2015 में, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने निश्चय किया कि विकास कार्यों के लिये नियमितीकरण के योग्य कॉलोनियों तथा अन्य कॉलोनियों (902 अनाधिकृत कॉलोनियों) में कोई अंतर नही किया जाना चाहिए। कॉलोनियों के संदर्भ मे इस नियम का एक ही अपवाद उन कॉलोनियों के लिए होगा जो कॉलोनियाँ वन क्षेत्र के अंदर आती है या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विनियमन के अंतर्गत आती है।

"अनाधिकृत कॉलोनियों में अनिवार्य सेवाओं का प्रावधान" योजना स्कीम के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दो योजनाएं "अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति" एवं "अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाऐं प्रदान करना" को कार्यान्वित किया जा रहा था, जिसके लिए शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सहायता अनुदान (सहायता अनुदान) जारी किया जाता है। "अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना" योजना में अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की आंतरिक लाइनें डालना शामिल था एवं पानी के टैंकरों से अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति करना था। "अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना" योजना में, बिना सीवरेज वाली अनाधिकृत कॉलोनियों में आंतरिक सीवरेज लाईनें डालना शामिल था। 2015-16 के

बजट दस्तावेजों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने (जुलाई 2015) तीन वर्ष की अवधि के अंदर समयबद्ध रूप से सभी घरों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति का प्रावधान किया। 2018-19 के बजट में इस समय सीमा को दिसंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली में कुल 1,797 में से मार्च 2013 तक क्रमशः 877 (48.8 *प्रतिशत*) तथा 98 (5.5 *प्रतिशत*) अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध थीं। अगले पांच वर्षों में 2013-14 से 2017-18 तक, अतिरिक्त 353 तथा 126 अनाधिकृत कॉलोनियों में क्रमशः पाइप द्वारा जल आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रकार, मार्च 2018 तक, कुल 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1230 (68.4 *प्रतिशत*) कॉलोनियों तथा 224 (12.5 *प्रतिशत*) अनाधिकृत कॉलोनियों में क्रमशः पाइप द्वारा जल आपूर्ति एवं सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी।

2.1.2. संगठनात्मक संरचना

दिल्ली जल बोर्ड का गठन 1998 में, शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत हुआ। इसके अध्यक्ष एक चेयरमैन होते हैं, जिनकी सहायता एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित क्षेत्र[1] के शीर्ष चार सदस्यों, विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष मुख्य अभियंता, तथा परिमंडलों एवं संबंधित डिवीजनों के क्रमशः शीर्ष कार्यकारी अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं द्वारा की जाती है।

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करने के लिए था कि क्याः

(i) योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन कुशल था;

(ii) अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित योजनाएं थी;

(iii) निविदाएं आमंत्रित करना, विकास निर्माण कार्यों का सौंपा जाना एवं निष्पादन मौजूदा नियमों के अनुसार थे;

(iv) सृजित की गई सुविधाएं प्रभावी रूप से कार्यान्वित एवं अपेक्षित उद्देश्य का निर्वहन कर रही थी; एवं

(v) निरीक्षण और निगरानी तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.1.4 लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2018 में प्रारंभ हुई जिसमें 5 वर्षों की अवधि 2013-14 से 2017-18 को कवर किया गया है। विशेष सचिव एवं शहरी विकास विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ प्रविष्टि सम्मेलन (अप्रैल 2018) आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों के मापदंड, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा अप्रैल से सितम्बर 2018 के दौरान शहरी विकास विभाग, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय, में चुने गए 18 मंडलों[2] में अभिलेखों की जांच एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण, जहाँ भी

---

[1] जल आपूर्ति, निकास, वित्त एवं प्रशासन

[2] जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 41 योजनाओं का एक चौथाईः 11 मंडलों (आरपीसी, डबल्यू (परियोजनाएं)-IX, उत्तर-पश्चिम-II, उत्तर-I, दक्षिण-III, दक्षिण-IV पश्चिम-III, दक्षिण-पश्चिम-II,

आवश्यक हो, द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा के लिए मंडलों का चयन सामान्य यादृच्छिक नमूना पद्दति द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से, 41 मंडलों के 25 *प्रतिशत* (11 मंडल) क्षेत्रों का चयन किया गया जिसमें "अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना" योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उपयोग में लाया गया एवं 21 मंडलों के 38 *प्रतिशत* (8 मंडल) जोकि अनाधिकृत कॉलोनियों में "सीवरेज सुविधाएँ उपलब्ध कराना" योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उपयोग कर रहे थे, को चयनित किया गया।

दिल्ली की कुल 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 18 चयनित मंडलों के अंतर्गत आने वाली सभी 374 अनाधिकृत कॉलोनियों जहां 2013-18 के दौरान जल आपूर्ति का काम शुरू किया गया था तथा 378 अनाधिकृत कॉलोनियों जहां सीवर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, को लेखापरीक्षा में सम्मि लित किया गया। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के साथ 13 अनाधिकृत कॉलोनियों तथा छः जल आपातकालीन सेवाएं[3] के कार्यों का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

अनाधिकृत कॉलोनियों का विवरण जिसमें पाइप द्वारा जल आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाओं के निर्माण कार्यों जो लेखापरीक्षा अवधि 2013-18 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा हाथ में लिये गये एवं जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा में कवर किया गया, को **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: अनाधिकृत कॉलोनियों के विवरण जहाँ निर्माण कार्यों को किया गया एवं लेखापरीक्षा में शामिल किया गया

विवरण	जल आपूर्ति		सीवरेज सुविधाएँ	
	कुल	नमूने में	कुल	नमूने में
अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहाँ मार्च 2013 तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी	920	530	1,699	902
अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहाँ कार्य हाथ में लिये गये	546	374	526	378
अनाधिकृत कॉलोनियों जहाँ कार्य पूर्ण किये गये एवं मार्च 2018 तक अधिसूचित किये गये	353	198	126	46
अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहां जल/सीवर लाइन को बिछाने का कार्य पूरा हो गया परंतु संबंधित बुनियादी संरचना[4] तथा प्रक्रियागत विलंब के कारण लाइने शुरू नही की जा सकी	166	155	134	134
अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहां कार्य पूर्ण होना बाकी है	27	21	266[5]	198

स्रोतः दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

लेखापरीक्षा के समापन के उपरांत 06 नवम्बर 2018 को शहरी विकास विभाग एवं दिल्ली जल बोर्ड को एक मसौदा रिपोर्ट जारी की गयी थी उसके बाद 13 फरवरी 2019 को शहरी विकास विभाग एवं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक समापन सम्मेलन किया गया। प्राप्त किए गए उत्तरों को इस रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित से व्युत्पन्न हुए हैं:

उत्तर-पूर्व-II, ई एण्ड एम एचपी-I, व ई एण्ड एम डब्ल्यू एण्ड एस दक्षिण-II) और 21 सीवरेज योजनाओं का एक तिहाईः 8 मंडल (एस आर-II, डी-आर-XII, डीआर-XIV, डी.आर-III, डी आर-VIII, डी.आर-XI व डी आर IX)।जल आपूर्ति योजना के लिए 1 मंडल जो कि दक्षिण पश्चिम II में सीवरेज योजना के साथ जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चयनित किया गया।

[3] जहां पानी के टैंकर भरे जाते हैं।

[4] पानी के लिये - भूमिगत रिजर्वर तथा पेरीफेरल लाइन तथा सीवरेज के लिए - ट्रंक/इंटरसेप्टर सीवर, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन तथा पेरीफेरल लाइन

[5] इन 266 अनाधिकृत कॉलोनियों. में से 47 अनाधिकृत कॉलोनियों. में कार्य बंद कर दिया गया।

(i) दिल्ली -2031 के लिए सीवरेज मास्टर प्लान;
(ii) शहरी विकास मंत्रालय, भा.स. एवं शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स., द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश एवं अनुदेश;
(iii) सामान्य वित्तीय नियम 2005 एवं 2017;
(iv) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण नियमावली 2012 एवं 2014;
(v) दिल्ली जल बोर्ड के संविदा की सामान्य शर्तें; एवं
(vi) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी अनुदेश एवं आदेश

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनाधिकृत कॉलोनियों में "पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना" एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में "सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना" योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन, योजना, निष्पदान एवं निर्माण कार्यों की निगरानी से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

2013-14 से 2017-18 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान दोनों योजनाओं के अंतर्गत तथा किये गये व्यय के प्रति प्राप्त की गई निधियों का विवरण **तालिका-2.2** एवं **तालिका-2.3** में दिया गया है। "अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना" योजना के लिए जीआईए के दो घटक हैं (i) टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति के लिए 'सहायता अनुदान -सामान्य' एवं (ii) पानी की सीवरेज लाइन बिछाने के लिए पूंजीगत निर्माण कार्य हेतु 'सहायता अनुदान-पूंजीगत'। "अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना" योजना के लिए सहायता अनुदान का केवल एक घटक है नामशः सीवर लाइन डालने के लिए "सहायता अनुदान-पूंजीगत"।

तालिका 2.2 : वर्ष 2013-18 के दौरान जल आपूर्ति योजना के लिए प्राप्त की गई अनुदानों के उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त की गई सहायता अनुदान			कुल राशि	उपयोग की गई सहायता अनुदान			अंतिम शेष
		सामान्य	पूँजीगत	कुल		सामान्य	पूँजीगत	कुल	
2013-14	0	90.00	40.00	130.00	130.00	93.82	34.11	127.93	2.07
2014-15	2.07	70.00	110.00	180.00	182.07	133.20	46.32	179.52	2.55
2015-16	2.55	134.00	140.00	274.00	276.55	216.02	47.03	263.05	13.50
2016-17	13.50	345.00	162.00	507.00	520.50	307.78	95.78	403.56	116.94
2017-18	116.94	150.00	150.00	300.00	416.94	280.27	70.15	350.42	66.52
कुल		**789.00**	**602.00**	**1,391.00**		**1,031.09**	**293.39**	**1,324.48**	

स्रोत: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना

उपरोक्त तालिका-2.2 के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि "सहायता अनुदान-सामान्य" (टैंकरो द्वारा जल आपूर्ति के लिए) में प्राप्त की गई राशि उपयोग की गई निधि से लगातार अधिक है (2016-17 को छोड़ कर) और यह आधिक्य व्यय "सहायता अनुदान -पूंजीगत" के अंतर्गत प्राप्त निधियों से खर्च किया गया था। इससे तात्पर्य है कि "सहायता अनुदान पूंजीगत" से निधि जो "अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने" हेतु केवल आंतरिक

पानी की लाइनें बिछाने के पूंजीगत निर्माण कार्य के लिए थी, को अनियमित रूप से टैंकरो द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए विचलन एवं उपयोग किया गया।

चयनित मंडलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2013-18 के दौरान "अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने" के लिए योजना में ₹ 5.33 करोड़ की धनराशि को अनियमित रूप से विचलन किया गया एवं अन्य उद्देश्यों, जैसे कि विभागीय कर्मचारियों को अग्रिम नगद एवं विविध मरम्मत और रखरखाव आदि के लिए उपयोग किया गया **(परिशिष्ट-2.1)**।

सरकार ने उत्तर (फरवरी 2019) दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया है एवं भविष्य में इस प्रकार के विचलन से बचाव को ध्यान में रखा जाएगा।

तालिका 2.3: वर्ष 2013-18 के दौरान सीवरेज योजना के लिए प्राप्त की गई अनुदानों के उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त की गई सहायता अनुदान	कुल राशि	उपयोग की गई सहायता अनुदान	समाप्त शेष
2013-14	53.79	33.73	87.52	103.75	(16.23)
2014-15	0.00	125.00	125.00	125.18	(0.18)
2015-16	0.00	335.00	335.00	199.96	135.04
2016-17	135.04	200.00	335.04	273.24	61.80
2017-18	61.80	235.00	296.80	207.84	88.96
कुल	**53.79**	**928.73**	**982.52**	**909.97**	**72.55**

स्रोतः दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना

सीवरेज योजना के अंतर्गत, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान, क्रमशः ₹ 16.23 करोड़ एवं ₹ 0.18 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि किया गया अतिरिक्त व्यय उसने अपने स्वयं के संसाधनों से किया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड ने आगामी वर्षों के लिए प्राप्त की गई राशियों के प्रति अधिक व्यय को समायोजित नहीं किया था।

जल आपूर्ति एवं सीवरेज निर्माण कार्यों की योजना एवं निष्पादन

2.1.7 जल आपूर्ति निर्माण कार्य

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अभी तक अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति के लिए कोई दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने समयबद्ध तरीके से दिसम्बर 2018 तक सभी घरों में पाइप से जल आपूर्ति के प्रावधान को परिकल्पित किया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारित तिथि तक सम्मिलित नहीं की गई सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को सम्मिलित करने के लिये रणनीतिक कार्य योजना की मांग की। हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड ने किसी भी ऐसे कार्य योजना को उपलब्ध नहीं कराया। अतः लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वहाँ पर दिसंबर 2018 तक सभी को जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिये कोई रणनीतिक योजना उपलब्ध थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,797 में से 567 अनाधिकृत कॉलोनियाँ अभी भी मार्च 2018 तक पीने योग्य जल की आवश्यकता के लिये ट्यूबवेल तथा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल के टैंकरों द्वारा की जाने वाली जल की आपूर्ति पर निर्भर थे।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2019) कि दिल्ली में जल की कमी है एवं यमुना नदी के ऊपर बांध के पूरा होने के बाद, सभी अनाधिकृत कॉलोनियों एवं अन्य कमी वाले क्षेत्रों को

कवर करना संभव होगा। हालांकि, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा परिकल्पित, दिसम्बर 2018 तक योजनाबद्ध तरीके से सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को कवर करने की रणनीतिक कार्य योजना की उपलब्धता या अन्य योजना के संबंध में उत्तर में कुछ भी नहीं कहा गया।

2.1.7.1 पाइपलाइनों के बिछाने के लिए एकीकृत/व्यापक योजना का अभाव

पेय जल की आपूर्ति में जल शोधन संयत्र से दूषित जल का शोधन तथा जल शोधन संयंत्र के अधिकार क्षेत्र मे स्थित भूमिगत श्रोत में शोधित जल की, ट्रांसमिशन लाइन से आपूर्ति भी सम्मिलित है। इन भूमिगत स्रोत से कॉलोनियों में डाली गई आंतरिक पाइप लाइनों के लिये पानी, कॉलोनियों के बाहरी क्षेत्रों में डाली गई भूमिगत स्रोत से जुड़ी हुई पेरीफेरेल लाइनों द्वारा पहुँचाया जाता है। आंतरिक पानी के पाइपों को बिछाने की योजना बनाने से पहले जल की उपलब्धता एवं संबद्ध बुनियादी ढ़ाँचे जल शोधन संयंत्र, भूमिगत श्रोत तथा परिधीय लाइनों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था।

चयनित मंडलों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के रख-रखाव मंडलों ने किसी भी व्यापक/रणनीतिक मास्टर प्लान जैसे कि, पानी और संबद्ध बुनियादी ढ़ाँचे, जल शोधन संयंत्र, भूमिगत श्रोत और परिधीय लाइनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आंतरिक पानी की लाइनें बिछाने के लिए प्रस्तावित की। निर्माणाधीन या प्रस्तावित भूमिगत जलाशयों/परिधीय लाइनों से पानी की निकासी के लिए बार-बार प्रस्ताव तैयार किए गये थे। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत श्रोत और परिधीय लाइनों के संबद्ध बुनियादी ढ़ाँचे की अनुपलब्धता के कारण शेष आंतरिक लाइनें अप्रयुक्त रहीं।

चयनित 11 मंडलों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 1,122 अनाधिकृत कॉलोनियाँ थी, जिनमें से 592 अनाधिकृत कॉलोनियों को मार्च 2013 तक पाइप द्वारा जल आपूर्ति के लिए पहले ही अधिसूचित[6] कर दिया गया था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान शेष 530 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 374 अनाधिकृत कॉलोनियों में आंतरिक जल लाइनों के लिए निर्माण कार्यों की योजना बनाई गई थी। इन 374 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 155 अनाधिकृत कॉलोनियों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गए थे, परंतु लाइनें चालू नहीं की जा सकीं थीं। 144 अनाधिकृत कॉलोनियों[7] में चालू करने में विलंब संबंधित अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण तथा बकाया 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में जल सुविधाओं का प्रचालन मुख्य अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करने में प्रक्रियागत विलंब के कारण नहीं हो सका। इन 144 अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य जुलाई 2018 में दो से 30 माह तक तथा 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में चार से 31 माह तक बंद रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 144 अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहां पानी की आंतरिक लाइनें बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया या परंतु जुलाई 2018 तक इसके आरंभ होने का इंतजार किया जा रहा था, आंतरिक लाइनों के प्रस्ताव के समय पानी के स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कमी के कारण आंतरिक लाइनें पूरी नहीं हो पाईं, परिणामस्वरूप पूरी आंतरिक लाइनें व्यर्थ रहीं एवं इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा जिसे विस्तृत रूप से नीचे दिया गया हैः

---

[6] सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया गया कि बताए गये इन स्थानों तथा आवास क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई इन सुविधाओं जल/सीवर कनेक्शन लगवाने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया जा सकता है।

[7] 59 अनाधिकृत कॉलोनियों. में ₹ 71.62 करोड़ के व्यय को शामिल करते हुए शेष 85 अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए पीपीपी परियोजना के मामलों में (एनडबल्यूएस, नांगलोई), शामिल की गई लागत सुनिश्चित की जाने योग्य नहीं थी, क्योंकि जल लाइनें बिछाने/पुनर्वास का कार्य 480 अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा था एवं व्यय का विवरण प्रत्येक अनाधिकृत कॉलोनियों. के अनुसार नहीं रखा गया था।

- मई 2016 एवं दिसम्बर 2017 के मध्य 17 अनाधिकृत कॉलोनियों में बिछाई गईं पानी की लाइनों को चालू करने में विलंब सोनिया विहार भूमिगत श्रोत के निर्माण में विलंब के कारण हुआ था। पानी की आंतरिक लाइनें बिछाने का कार्य अक्तूबर 2015 में प्रस्तावित था एवं प्रस्ताव के समय, बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से केवल सोनिया विहार भूमिगत श्रोत के निर्माण कार्य का अनुमोदन किया गया था। सोनिया विहार भूमिगत श्रोत के निर्णाण का कार्य नवम्बर 2017 में ही प्रदान किया गया था, जिसे नवम्बर 2019 तक पूरा किया जाना था। नवम्बर 2019 तक, सोनिया विहार भूमिगत श्रोत का 79 *प्रतिशत* निर्माण कार्य हुआ था।
- 23 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की लाइनें जो कि जनवरी 2016 एवं जनवरी 2018 के मध्य में बिछाई गईं, को चालू करने में विलंब कराला भूमिगत श्रोत के निर्माण में विलंब के कारण हुआ था। पानी की आंतरिक लाइनें बिछाने का कार्य सितम्बर 2015 एवं नवम्बर 2016 के मध्य प्रस्तावित था, यद्यपि कराला भूमिगत श्रोत की भौतिक प्रगति मार्च 2016 एवं दिसम्बर 2016 तक क्रमशः 68 *प्रतिशत* एवं 83 *प्रतिशत* थी। मार्च 2018 तक भूमिगत श्रोत निर्माण में 87 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। साइट की कठिन परिस्थितियों के कारण कराला भूमिगत श्रोत के निर्माण में विलंब हुआ था क्योंकि साइट पानी में डूबी हुई थी एवं साइट को कार्य योग्य बनाने में मिट्टी को अन्य स्थानों से लाया जाना था।
- 85 अनाधिकृत कॉलोनियों के मामलों में, पानी की आंतरिक लाइनों के बिछाने का कार्य नजफगढ़ एवं मुडंका भूमिगत श्रोत के सितम्बर 2015 में पूर्ण होने के उपरांत आरंभ किया जाना था। नजफगढ़ एवं मुडंका भूमिगत श्रोत के निर्माण कार्य हालांकि क्रमशः दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 में आरंभ किये गये थे। नजफगढ़ भूमिगत श्रोत के निर्माण में उस स्थल पर बकरवाल नालों जिसे स्थानातंरित करना पड़ा, जमीन के भौतिक स्वामित्व एवं ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण विलंब हुआ था।। मुंडका भूमिगत श्रोत के निर्माण में मिट्टी की अवस्था, मिट्टी की मजबूती में समय लगने, डिजाइन बदलने एवं ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण विलंब हुआ। मार्च 2018 तक नजफगढ़ एवं मुंडका भूमिगत श्रोत की भौतिक प्रगति क्रमशः 80 *प्रतिशत* एवं 78 *प्रतिशत* थी। रोड स्वामित्व एजेंसियों से सड़क काटने की अनुमति नहीं मिलने के कारण भी परिधीय लाइनों के बिछाने के कार्य में विलंब हुआ।

  हालांकि भूमिगत श्रोत के निर्माण से पूर्व जनवरी 2017 और मई 2018 के मध्य इन 85 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की लाइनें बिछाई गईं थीं एवं इसे इसलिए आरंभ नहीं किया जा सका क्योंकि परिधीय लाइनों एवं भूमिगत श्रोत की अनुपस्थिति के कारण पानी उपलब्ध नहीं था।

- शेष 19 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की अनुपलब्धता के कारण आरंभ करने में विलंब हुआ। ओखला विधान सभा क्षेत्र के नौ मामलों में, ओखला जल शोधन संयंत्र से पानी के स्रोत के साथ आंतरिक पानी की लाइनों के काम की योजना बनाई गई थी। ये कार्य जनवरी 2016 एवं जनवरी 2018 के मध्य पूर्ण हुए थे एवं स्रोत पर पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण जुलाई 2018 से आरंभ होने की प्रतीक्षा में थे। इसी प्रकार नरेला विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 10 अनाधिकृत कॉलोनियों में, पानी पल्ला रेनी वैल से लिया जाना था। इस अनाधिकृत कॉलोनियों में अगस्त 2016 एवं मई 2018 के मध्य आंतरिक लाइनों को बिछाने का कार्य पूरा किया जाना था परंतु

स्रोत पर पानी को उपलब्धता नही होने के कारण जुलाई 2018 तक आरंभ नहीं किया जा सका।

भाग्य विहार अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहां आंतरिक पानी की लाइनें डाली गई थी परंतु प्रचालन कराला भूमिगत श्रोत के निर्माण में विलंब के कारण प्रतीक्षित था, के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि कुछ निवासियों ने पड़ोसी रानी खेरा गांव के परिधीय पानी की लाइनों से अनाधिकृत कनेक्शन ले लिया है। क्योंकि ये निवासी पहले से ही अनाधिकृत कनेक्शन से पाइप लाइन के द्वारा जल प्राप्त कर रहे थे, यह संभावना थी कि अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप के द्वारा जल आपूर्ति प्रारंभ करने के पश्चात भी वह अधिकृत कनेक्शन नही लेंगे क्योंकि इसमें उन्हें भुगतान भी करना पड़ेगा।

संगम विहार अनाधिकृत कॉलोनियों के भौतिक सत्यापन के दौरान भी लेखापरीक्षा ने पाया कि पानी की परिधीय लाइनें 2013 से ही मौजूद है परंतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आंतरिक पानी की लाइनें रतिया मार्ग, मंगल बाजार, टिगरी तथा देवली रोड कॉलोनियों में अक्तूबर 2019 तक नियोजित नहीं की गई। क्षेत्र में पूरी तरह से प्रचलित परिधीय लाइनों की उपलब्धता के बावजूद पानी की आंतरिक लाइनों को नहीं बिछाने के परिणामस्वरूप इन अनाधिकृत कॉलोनियों में कुछ निवासियों द्वारा अनाधिकृत लाइनें बिछा दी गई हैं।

दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की आंतरिक लाइनें बिछाने से पहले संबंधित भूमिगत स्रोत की अवसंरचना एवं परिधीय लाइनों के निर्माण तथा जल की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया। इसके कारण किया गया व्यय निष्फल रहा तथा इच्छित लाभ की आपूर्ति नहीं हुई। दूसरी ओर, दिल्ली जल बोर्ड ने तीन कॉलोनियों में जहाँ परिधीय लाइनें पहले से उपलब्ध थीं, आंतरिक पानी की लाइने नहीं बिछाईं।

2.1.7.2 निष्पादित निर्माण कार्यों में सरकारी निर्देशों का उल्लघंन

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी किए गए अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण कार्यों हेतु दिशा-निर्देशों[8] में स्पष्ट रूप से वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण कार्यों को किया जाना निषेध है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास विभाग ने 179 एवं 47 अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची परिचालित (अक्तूबर 2015) की जोकि क्रमशः वन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि में पड़ती है एवं इन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करने के निर्देश दिये गये थे। दिल्ली जल बोर्ड ने सरकारी निर्देशों के बावजूद वन भूमि पर स्थित 88 अनाधिकृत कॉलोनियों एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि पर स्थित 35 अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति के कार्य के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके कार्यान्वित किया था।

वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में विकासात्मक कार्यों में लगाये गये प्रतिबंधो का आकलन करने में दिल्ली जल बोर्ड की असफलता के कारण अनाधिकृत कॉलोनियों में किसी विकासात्मक कार्यों की योजना से पहले दिल्ली जल बोर्ड में प्रणालीगत असफलता तथा प्रक्रिया की अनुपस्थित यह चिन्हित करने में असफल रही कि क्या भूमि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/ वन विभाग की थी। सिर्फ अक्टूबर 2015 में, शहरी विकास विभाग ने 179 तथा 47 अनाधिकृत कॉलोनियों की एक सूची जारी की जो कि क्रमशः वनभूमि, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार तथा भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण में स्थित थी।

---

[8] 2009, 2012 एवं 2015

2.1.7.3 आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए तंत्र में कमी

पीने का पानी आरंभ में जल उपचार संयंत्रो से संचरण लाइनों के माध्यम से जल उपचार संयंत्र के कमांड क्षेत्रो में स्थित भूमिगत जलाशयों में डाला जाता है। इन भूमिगत श्रोत से इसे आगे छोटे भूमिगत श्रोत में डाला जाता है और फिर बूस्टर पंपो की मदद से वितरण लाइनों के माध्यम से घरों में वितरित किया जाता है।

दिल्ली जल बोर्ड ने जल उपचार संयंत्र पर उपलब्ध अपरिष्कृत पानी की मात्रा और वितरण के लिए उपचारित संयंत्रो द्वारा भेजे उपचारित/पीने योग्य पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए जल उपचार संयंत्र पर लगभग 302 फ्लोमीटर लगाये हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड ने जल उपचार संयंत्रो जैसे भूमिगत जलाशयों, बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों और पानी की आपातस्थितियों[9] के बहाव वाले स्थानों पर फ्लोमीटर नहीं लगाये हैं और वितरण लाइनों के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा के आकलन के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों[10] या पानी के टैंकरो पर निर्भर है। यह तरीके वैज्ञानिक तथा परिशुद्ध नहीं थे।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान जल टैंकरो के माध्यम से जल आपूर्ति की मात्रा के वर्षवार विवरण **(तालिका 2.4)** दर्शाते हैं कि नापने की प्रणाली सही नही थी क्योंकि जल के टैंकर के माध्यम से आपूर्ति किये गये जल की मात्रा 2014-15 में 72.91 लाख किलो लीटर से वर्ष 2017-18 में 6.32 लाख किलो लीटर का बहुत बड़ा विचलन था, जो कि अवधि में टैंकरों की मात्रा तथा निर्धारित बिंदुओ को सम्मि लित करने तथा आपातकालीन मामलों में दिल्ली जल बोर्ड में प्रचालन की मात्रा समान होने के कारण असंभव था।

तालिका 2.4: टैंकरों द्वारा की गई जल आपूर्ति का विवरण

वर्ष	टैंकरो की संख्या	मात्रा किलोलीटर में
2013-14	972	59,13,294
2014-15	1,064	72,91,064
2015-16	1,017	27,92,549
2016-17	932	6,73,418
2017-18	982	6,32,127

स्रोतः दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना

भूमिगत श्रोत, बूस्टर पम्पिंग स्टेशन तथा जल इमरजेंसी में फ्लोमीटर की अनुपलब्धता के कारण, दिल्ली जल बोर्ड वास्तव में आपूर्ति किये गये जल की मात्रा या रिसाव/चोरी आदि का ठीक से पता लगाने की स्थिति में नहीं था।

जल आपूर्ति की मात्रा के आकलन के बारे में, सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि फ्लोमीटर लगाने की प्रक्रिया (जल शोधन संयंत्र का अनुप्रवाह, जैसा कि भूमिगत जलाशयों, बूस्टर पम्पिंग स्टेशन एवं जल की आपातस्थिति) आरंभ कर दी गई है, एवं दिसंबर 2019 तक पूरी कर ली जाएगी।

2.1.8 सीवरेज निमार्ण कार्य

मार्च 2013 तक 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1,699 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाऐं उपलब्ध नहीं थीं। सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2031 तक दिल्ली सहित सभी 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों

---

9 जहाँ जल के टैंकर भरे जाते है

10 भूमिगत श्रोत में, वितरण लाइनों के माध्यम से आपूर्ति किए गए उपचारित पानी की मात्रा को पंपो की क्षमता और पंपिग की अवधि के आधार पर मापा जाता है। इसी प्रकार पानी की आपातस्थितियों में, पानी के टैंकरो के माध्यम से की जाने वाली जल आपूर्ति की मात्रा को टैंकरो की क्षमता और लगाये गये फेरों की संख्या के आधार पर मापा जाता है।

को कवर करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा (जून 2014) तैयार सीवरेज मास्टर प्लान दिल्ली-2031 (एसएमपी-2031) के अनुसार "अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना" योजना लागू की गई थी।

एसएमपी-2031 को चार चरणों एवं 93 कार्यों में विभाजित किया गया है, जिनमें से चरण-I के अंतर्गत 34 कार्य 2016 तक पूरे किये जाने थे और चरण-II के अंतर्गत 32 कार्य 2021 तक पूरे किए जाने थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चरण-I के 34 कार्य 2016 तक पूर्ण होने थे परंतु जुलाई 2018 तक केवल 11 कार्य पूर्ण किए गए, 20 कार्य प्रगति पर हैं एवं तीन कार्य अभी भी पूर्व निष्पादन अवस्था[11] में हैं। समग्र रूप से 2013-18 के दौरान कुल 126 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की गईं। सीवर लाइन बिछाने में विलंब के कारण शेष 1,573 अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को सीवरेज सुविधाओं से वंचित होना पड़ा।

मार्च 2018 तक 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1,573 अनाधिकृत कॉलोनियों का गंदा पानी बारिश के लिए बनाई गई पानी की नालियों में बह गया तथा अपने अनुपचारित रूप में अतंतः यमुना नदी में मिल गया।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि दिल्ली में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराने का काम चरणबद्ध तरीके से सीवरेज मास्टर प्लान – 2031 के अनुसार किया जा रहा है तथा एसएमपी-2031 में परिकल्पित सीवरेज कार्यों के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सीवरेज कार्यों की योजना में पाई गई कमियों के विशिष्ट उदाहरणों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1.8.1 अन्य संबंधित कार्यों के साथ सीवर लाइनों को बिछाने के कार्यों के गैर-संकालन के परिणामस्वरूप बनाया गया ढाँचा व्यर्थ रहा

आठ चयनित मंडलों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 961 अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं जिसमें से मार्च 2013 तक 59 अनाधिकृत कॉलोनियों को सीवरेज सुविधाओं के लिए पहले ही अधिसूचित किया गया था। शेष 902 अनाधिकृत कॉलोनियों में से, 378 अनाधिकृत कॉलोनियों में आंतरिक सीवर लाइनों के कार्य 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान योजनाबद्ध किए गए थे। इन में से 180 अनाधिकृत कॉलोनियों का कार्य पूर्ण हो गया था तथा 198 में कार्य प्रगति पर था। पूर्ण हुए कार्यों में, 46 अनाधिकृत कॉलोनियों में डाली गई आंतरिक सीवर लाइन चालू कर दी गई थी तथा 134 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनों का प्रचालन नहीं किया जा सका। इन 134 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 108 में संबद्ध बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुआ था तथा शेष 26 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर सुविधाएें मुख्य अभियंता का अनुमोदन प्राप्त करने में प्रक्रियागत विलंब के कारण प्रारंभ नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 108 अनाधिकृत कॉलोनियों में आतंरिक एवं परिधीय सीवर लाइनें बिछाने के लिए ₹ 260.29 करोड़ का व्यय किया गया है, परंतु ये लाइनें बेकार पड़ी हुईं थीं क्योंकि अवरोधक सीवर योजना[12], जिसे इन सीवर लाइनों के आउटफॉल का कार्य

[11] प्राक्कलन/एनआईटी/निविदां/कार्य प्रदान आदि के स्तर पर

[12] इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट जो कि जेएनएनयूआरएम (अब अमृत योजना) के अंतर्गत कार्यान्वित हो रहा है, तीन मुख्य नालों (नजफगढ़, सप्लीमेंट्री तथा शाहदरा) से सीवेज लेकर सीवर रहित क्षेत्रों से डाइवरजन संरचना द्वारा

किया जाना था, में विलंब हुआ था। अवरोधक सीवर परियोजना जून 2014 तक 6 पैकजों में कार्यान्वित की जानी थी। छः पैकजो में से, एक पैकेज पूर्ण है एवं शेष पांच पैकेज मार्च 2020 तक पूर्ण किये जाने थे। इस परियोजना में, विभिन्न विभागों जैसे आईएफसीडी, दि.न.नि., दि.वि.प्रा., बी.एस.ई.एस., रेलवे एवं वन विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य धीमी प्रगति से करने के कारण विलंब हुआ।

इन 108 अनाधिकृत कॉलोनियों में से, 96 अनाधिकृत कॉलोनियों मोहन गार्डन की कॉलोनी ग्रुप के अंतर्गत, आंतरिक लाइन एवं परिधीय सीवर लाइनें बिछाने के कार्य की योजना जुलाई 2012 में बनाई गई थी। योजना के अनुसार, नई सीवर लाइनों के द्वारा मोहन गार्डन कॉलोनी ग्रुप से सीवेज अवरोधक सीवर नीलोठी केशोपुर (पैकेज 2) में पहुंचाना था। समयपुर ग्रुप के अंतर्गत शेष बची 12 अनाधिकृत कॉलोनियों में, आंतरिक एवं परिधीय सीवर लाइनें बिछाने के कार्य की योजना जुलाई 2013 में बनी थी। योजना के अनुसार, नई सीवर लाइनों के द्वारा समयपुर कॉलोनी ग्रुप से सीवेज अवरोधक सीवर संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर में पहुंचाना था। समयपुर ग्रुप की कॉलोनियों से सीवेज अवरोधक सीवर (पैकेज 3) में गिरना था, जो कि बादली से बुराड़ी, वजीराबाद से बुराड़ी एवं इंद्रलोक से भारत नगर तक बढ़ाया गया था। जुलाई 2013 तक, अवरोधक सीवर परियोजना के पैकेज 3 के भौतिक कार्य की प्रगति 32 *प्रतिशत* थी। समयपुर कॉलोनी ग्रुप में सीवर लाइन डालने का कार्य फरवरी 2014 में प्रदान होने के साथ फरवरी 2016 में पूर्ण होना था। कार्य वास्तव में मार्च 2018 में पूर्ण हुआ। मार्च 2018 तक अवरोधक सीवर परियोजना के पैकेज 3 के भौतिक कार्य की प्रगति 84 *प्रतिशत* हुई थी।

इस प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ₹ 260.29 करोड़ की लागत से बिछाई गई सीवर लाइनों के निर्माण कार्यों के समय अवरोधक सीवर जिसके ट्रंक सीवर से संबंधित निर्माण कार्यों के साथ नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप पूरी सीवर लाइनों को आरंभ करने एवं प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

सीवर लाइन बिछाने के कार्य का दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अन्य संबंधित कार्यों के साथ तालमेल न रखने के कारण बनाई गई अवसंरचना व्यर्थ पड़ी रही।

2.1.8.2 निष्पादित निर्माण कार्यों में सरकारी निर्देशों का उल्लंघन

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यो के लिये जारी किये गये दिशानिर्देशों[13] में वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर स्थिति अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को किये जाने पर स्पष्ट निषेध है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सरकारी निर्देशों के बावजूद, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 57 अनाधिकृत कॉलोनियों में वन भूमि पर एवं 30 अनाधिकृत कॉलोनियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके सीवर लाइन डाली गई। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 43 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन के कार्यों को शहरी विकास विभाग द्वारा रोक दिया गया (जुलाई 2016) क्योंकि ये वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि पर थे और इन क्षेत्रों मे कोई विकास कार्य करने की अनुमति नहीं थी जिसके कारण इन कार्यों पर किया गया ₹ 27.46 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

एवं मौजूदा सीवरों के ओवरफ्लो को पास के एसटीपी में भेजता है। इस प्रोजेक्ट को जून 2014 में पूरा होना था, जो कि अब मार्च 2020 तक पूरा होने की तिथि है।

[13] 2009, 2012, 2015

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि का सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है एवं जब भी विभाग द्वारा टिप्पणी की जाती है, कार्य का पुनः मूल्यांकन किया जाता है एवं संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मिलने पर कार्य पुनः आरंभ किया जाता है। हालांकि तथ्य यह है कि दिल्ली जल बोर्ड 43 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनों के कार्यों को पुनः आरंभ करने में असफल रहा।

वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों पर निषेध का आकलन करने में दिल्ली जल बोर्ड की असफलता पैरा 2.1.7.2 में इंगित जल आपूर्ति के कार्यों में प्रणालीगत असफलता को प्रदर्शित करती है।

2.1.8.3 पानी की लाइनों को बिछाने से पहले सीवर लाइनों के कार्यों की योजना एवं निष्पादन

दिल्ली जल बोर्ड ने यह निर्णय लिया (जनवरी 2012) कि सीवरेज तंत्र केवल उन्हीं अनाधिकृत कॉलोनियों में बिछाया जायेगा जहाँ जल आपूर्ति तंत्र पहले से ही मौजूद है। हांलाकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस निर्णय के विपरीत, 50 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछायी गयीं थीं **(परिशिष्ट 2.2)** जबकि पानी की लाइनें बिछायी जानी बाकी थीं फिर भी वहाँ पर 622 अनाधिकृत कॉलोनियाँ थीं जिन्हें जल आपूर्ति के लिए अधिसूचित किया गया था परंतु सीवरेज कार्य किया जाना बाकी था। इस प्रकार, अपने ही निर्देशों का उल्लंघन करके दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्य का निष्पादन किया गया।

समापन सम्मेलन के दौरान, दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि जनवरी 2012 के संकल्प संशोधन पर विचार किया जाएगा क्योंकि वे सभी को सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं।

न्यूनतम आवश्यक जल आपूर्ति के बिना सीवर लाइन बिछाने के परिणामस्वरूप सीवर लाइनों का प्रयोग निष्प्रभावी रहा।

2.1.9 जल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्यों के निष्पादन में कमियाँ

इन दो योजनाओं के अंतर्गत जल आपूर्ति एवं निर्मित सीवरेज अवसंरचना के निष्पादन एवं रखरखाव में कमियों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी संस्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन

दिल्ली जल बोर्ड में दिनांक 5 मार्च 2013 को शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन के अनुसार अधीक्षण अभियंता को केवल ₹ 25 लाख तक की तकनीकी संस्वीकृति देने का अधिकार दिया गया था जिसे 16 जून 2015 को संशोधन करके पूर्ण शक्तियों तक बढ़ाया गया।

दिल्ली जल बोर्ड के चयनित मंडलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जल एवं सीवर लाइनें बिछाने के 16 कार्यों **(परिशिष्ट 2.3)** का निष्पादन अधीक्षण अभियन्ता की तकनीकी संस्वीकृति के बाद किया गया था (5 मार्च 2013 एवं 16 जून 2015 के मध्य) हालांकि, इन परियोजनाओं का प्राक्कलन ₹ 31.11 लाख से लेकर ₹ 1,213.00 लाख के मध्य था। इस प्रकार ये कार्य सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति के बिना निष्पादित किये गए थे।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि ₹ 25 लाख से ज्यादा के प्राक्कलन वाले कार्यों को निरीक्षण के पश्चात अधीक्षण अभियन्ता की तकनीकी संस्वीकृति के उपरांत भूल से कराया गया था। यद्यपि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया परंतु वास्तविकता यह है कि अनियमितताओं के लिए न तो जिम्मेवारी तय की गई और न ही बाद में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली गई।

2.1.9.2 कार्यों को सौंपने में कमियाँ

(i) कार्यों को सौंपने में विलंब

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के अनुसार निविदाओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा जाँच एवं निविदाओं के निपटान के लिए 45 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्दिष्ट की गई है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 45 दिनों की अधिकतम निर्दिष्ट अवधि से अधिक, 620 कार्यों[14] में से 72 कार्यों को सौंपने में 50 से 498 दिनों का विलंब हुआ था। विवरण **तालिका 2.5** में दी गयी है।

तालिका 2.5: कार्यों को सौंपने में विलंब

क्र. सं.	दिनों में विलंब की अवधि	विलंब के उपरांत सौंपे गए कार्यों की मंडल-वार संख्या									राशि (₹ करोड़ में)
		एसडब्ल्यू II	उत्तर I	एस-III	डीआर-IX	एसआर-II	ई एंड एम	एनई-II	डीआर-XIV	कुल	
1.	50-100	12	15	10	01	01	02	07	01	49	240.23
2.	101-200	03	02	01	05	03	-	01	01	16	68.66
3.	201-300	-	01	02	-	-	-	-	01	04	32.72
4.	301-498	-	02	01	-	-	-	-	-	03	1.91
कुल		**15**	**20**	**14**	**06**	**04**	**02**	**8**	**03**	**72**	**343.52**

स्रोतः दिल्ली जल बोर्ड के अभिलेख

निविदाएं खोलने के बाद कार्यों को सौंपने में विलंब के परिणामस्वरूप परियोजनाओं में विलंब और निविदा की वैधता समाप्त हो सकती है तथा लागत वृद्धि के कारण भी परियोजना लागत में वृद्धि होती है जिसका आकलन औद्योगिक श्रमिकों के लिए थोक मूल्य सूचकांक/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि को किया जाता है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि जमा बयाना राशि एवं बैंक गारंटी की पुष्टि की प्रक्रिया का अनुपालन, निविदाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन, तकनीकी बोली का मूल्यांकन, तकनीकी समिति द्वारा जाँच आदि में समय लगा, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों को सौंपने में विलंब हुआ। इसके अलावा सरकार ने आश्वस्त किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

(ii) तकनीकी योग्यता मानदंडो में अनाधिकृत परिवर्तन

(क) सीवीसी[15] एवं के.लो.नि.वि.[16] के दिशा निर्देशों के संबंध में विशिष्ट कार्यों के लिए पात्रता शर्तें एनआईटी में इस प्रकार निर्दिष्ट की जाएगी कि पिछले सात वर्षो के दौरान सफलतापूर्वक कार्य करने का अनुभवः तीन समान कार्य जिसमें प्रत्येक की कीमत निविदा की अनुमानित लागत का 40% से कम न हो या दो समान कार्य जिसमें प्रत्येक की कीमत निविदा के अनुमानित लागत से

---

[14] 2013-18 के दौरान 18 चयनित मंडलों से संबंधित अनाधिकृत कॉलोनियों में शुरू किये गये पानी तथा सीवर लाइनों को डालने का कार्य

[15] पूर्व-योग्यता मानदंड के संबंध मे सीवीसी परिपत्र संख्या 14/4/07 द्वारा जारी पत्र संख्या 98 वीजीएल-25 दिनांक 26.04.2007

[16] कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजीडब्ल्यू/एमएएन/160 दिनांक 31.07.2008 द्वारा विशिष्ट कार्यो के लिए पात्रता की शर्तों के बारे में।

60 *प्रतिशत* से कम न हो या एक समान कार्य जिसकी कीमत निविदा की अनुमानित लागत का 80 *प्रतिशत* से कम न हो"।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो कार्यों[17] के मामले में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना तकनीकी योग्यता मानदंड को मनमाने ढंग से कार्य की अनुमानित लागत के 80 *प्रतिशत* से घटाकर केवल आठ *प्रतिशत* कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप उन ठेकेदारों को कार्य सौंपा गया जो सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अयोग्य हो सकते थे। यह भी पाया गया कि दो कार्यों के निष्पादन में 455 और 621 दिनों का विलंब हुआ, जिसके जिम्मेदार इन दोनो कार्यों के ठेकेदार थे, यह उनकी अक्षमता का संकेत भी देता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों को इम्पैनेल/सूचीबद्ध भी करता है और उन्हें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आंमत्रित निविदाओं में भागीदारी की पात्रता सीमा तय करके विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करता है। वर्गीकरण विभिन्न कारकों के आधार पर उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है जैसे कि कार्य क्षेत्र में उनके अनुभव, टर्नओवर इत्यादि। यदि एक बार एक विशेष ठेकेदार को दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक निश्चित वर्ग में सूचीबद्ध किया जाता है तो वह केवल उस श्रेणी या उससे कम के लिए निविदाओं में भाग लेने के लिए पात्र हो जाता है।

हालांकि, चयनित मंडलों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 13 कार्यों में (620 कार्यों में से) जिन ठेकेदारों/फर्मों को कार्य सौंपे गए थे, वे अपने वर्गीकरण के अनुसार इन कार्यों के लिए बोली लगाने के योग्य नहीं थे। **(परिशिष्ट 2.4)**

सरकार ने इन 13 कार्यों में से पांच के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया (फरवरी 2019)। यह कहा गया कि इन पांच कार्यों में से चार में, निविदाओं को खुली बोली के रूप में आमंत्रित किया गया था एवं कोई भी बोलीदाता, जो तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडों को पूरा करता है, उस श्रेणी के लिए बोली लगाने के लिए पात्र था जिसमें वह सूचीबद्ध है। एक कार्य के संबंध में यह कहा गया था कि दो बार निविदाओं के लिए अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, निविदाओं को उपयुक्त श्रेणी से एक श्रेणी कम में भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि शेष आठ कार्यों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(iii) प्रतिस्पर्धा दरों को सुनिश्चित किए बिना कार्यों का सौंपा जाना

जीएफआर के नियम 154 के अनुसार, एकल निविदा पर काम देने से आम तौर पर बचा जाना चाहिए और जहाँ एक विशेष फर्म उस प्रकार का कार्य कर सकती है या आपातकाल के मामले में इसे अनुमोदित किया जा सकता है। सीवीसी दिशानिर्देशों ने भी दोहराया है कि सभी सरकारी विभागों द्वारा एकल निविदा से बचा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के खंड 17.7 के अनुसार यदि उपयुक्त वर्ग के ठेकेदारों से निविदाओं की प्रतिक्रिया कमजोर है तो रेलवे, एमईएस, दूरसंचार और राज्य लो.नि.वि. जैसे अन्य विभागों के ठेकेदारों सहित अगले निचले वर्ग से खुली निविदाएं आमंत्रित करने और/या पात्रता मापदंड में ढ़ील देने जैसे उपायों को सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ लिया जा सकता है।

अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि दो कार्य[18] ₹ 4.91 करोड़ में निविदाओं के पहले आमंत्रण में एकल निविदा को तात्कालिकता के आधार पर प्रदान किये गये थे। इन दो कार्यों में

---

[17] 1. समयपुर समूह की बस्तियों में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइनें प्रादन करना और बिछाना तथा
2. कुरैनी समूह की बस्तियों में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना

[18] 1. ₹ 0.27 करोड़ की लागत के साथ परिधीय रेखा (पश्चिम-III) साथ परस्पर संबंध बनाने का कार्य।

दिल्ली जल बोर्ड ने न तो पात्रता मानदंड में ढील दी और न ही खुली निविदाओं के माध्यम से अन्य विभागों के साथ पंजीकृत ठेकेदारों से संपर्क किया।

परिधीय लाइन के साथ जोड़ने के पहले कार्य में तात्कालिकता का आधार उचित नहीं था क्योंकि कार्य के दिये जाने के समय परिधीय लाइन बिछाने का काम भी पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा, 60 दिनों के पूरा होने की निर्धारित अवधि के प्रति 98 दिनों के विलंब से काम शुरू किया गया क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड कार्य दिये जाने से पहले सड़क काटने के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा। इसके अलावा, कार्य 142 दिनों के विलंब के साथ पूरा हुआ और कराला भूमिगत श्रोत के शुरू होने में विलंब के कारण अभी भी दिसम्बर 2018 में इसके शुरू होने की प्रतीक्षा है। इसी तरह, आंतरिक और परिधीय सीवर लाइनों को प्रदान करने और बिछाने के दूसरे कार्य में, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशासनिक अनुमोदन के प्रोफार्मा में, कार्य को सामान्य/नियमित कार्य के रूप में प्रस्तावित किया गया था। बाद में, सितंबर 2013 में एकल बोली लगाने वाले को कार्य देने के लिए, अन्य समान कार्यों के लिए निविदाओं के आमंत्रित करने के प्रति कम प्रतिक्रिया, क्षेत्र के विधान सभा सदस्य द्वारा कार्य के लिए जोरदार अनुसरण और अंत में, दिसंबर 2013 में यमुना विहार एसटीपी (चरण-III) को चालू करने के मद्देनजर अत्यावश्यकता के कारणों का हवाला दिया गया। यहाँ पर यह बताना उचित है कि एसटीपी केवल सितंबर 2015 में शुरू किया गया था और हालांकि, कर्दमपुरी, कर्दमपूरी एक्सटेंसन और हरिजन बस्ती, पश्चिम ज्योति नगर में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन प्रदान करने और बिछाने का काम सितंबर 2014 में पूरा हो गया था, परंतु लाइन मई 2015 अर्थात कार्य पूरा होने के 8 महीने बाद शुरू की गई।

इस प्रकार, इन कार्यों को बिना पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के एकल निविदा के आधार पर ₹ 4.91 करोड़ में देना उचित नहीं था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में संभावित निविदाकर्ताओं की गोपनीयता बनाये रखी जाती है तथा कोई भी निविदाकर्ता एकल बोलीदाता होने का फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि बोली लगाने वाले को इसकी जानकारी नहीं होती। इसके अलावा, जीएफआर एकल निविदा पर कार्य प्रदान करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता तथा दिल्ली जल बोर्ड ने इस संबंध में मुख्य अभियन्ताओं द्वारा जारी परिपत्रों का पालन किया है। हांलाकि, एकल निविदा पर कार्यों को प्रदान करने का औचित्य इस तथ्य के कारण स्वीकार्य नहीं था कि एकल निविदा के आधार पर कार्य प्रदान करने के समय दिखाई गई तात्कालिकता, इन कार्यों के निष्पादन एवं शुरू होने पर दिखाई नहीं दी जैसा कि ऊपर बताया गया है।

2.1.10 कार्यों के निष्पादन में कमियाँ

2.1.10.1 कार्यों के पूरा होने में असामान्य विलंब

लेखापरीक्षा ने पानी और सीवर लाइन बिछाने के 59 कार्यों को पूरा करने में छः से 55 महीने का असामान्य विलंब पाया **(परिशिष्ट 2.5)**। इनमें से 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष 36 कार्य अभी भी प्रगति पर हैं (जुलाई 2018)।

अधिकांश मामलों में विलंब, सड़क के स्वामित्व वाली एजेंसियों (लो.नि.वि., दि.न.नि. और दि.वि.प्रा.), ट्रैफिक पुलिस, वन विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और रेलवे आदि से अनुमति नहीं मिलने या विलंब अथवा गैर-उपलब्धता के कारण

2. कर्दम पुरी, कर्दम पुरी एक्सटेंसन, और बस्ती, पश्चिम ज्योति नगर में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइनें प्रदान करने का कार्य ₹ 4.64 करोड में दिया गया।

हुआ। यह कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय की कमी को इंगित करता है। के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के अनुसार, सभी अपेक्षित मंजूरी/अनुमोदन कार्य प्रदान किए जाने से पहले प्राप्त किये जाने चाहिए। हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड ने कार्यों को प्रदान करने से पहले अनुमति प्राप्त करने के बजाय संविदा में इसके बारे में एक खंड शामिल करके ठेकेदार पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अनुमतियाँ प्राप्त करने का दायित्व डाला जिससे इस संबंध में कोई भी जिम्मेदारी लेने से स्वयं बचा गया, हालांकि, संबंधित सरकारी विभागों से अनुमति दिलवाने के लिए वह बेहतर स्थिति में हो सकता था। इस प्रकार, अनुमति प्राप्त करने के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बनाने की प्रथा में के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में परिहार्य विलंब हुआ तथा योजना के इच्छित उद्देश्य पूरे नहीं किये जा सके क्योंकि कार्य समय से पूरा नहीं हुआ था।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि सड़क के स्वामित्व वाली एजेंसियां निश्चित समय के लिए अनुमति देती हैं और अनुमतियाँ, कार्य सौंपने हेतु सफल निविदाकर्ताओं के चयन में विभागीय कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया में प्रत्याशित समय में अनिश्चितता पर विचार करते हुए कार्यों को सौंपने से पहले प्राप्त नहीं की गईं। दिल्ली जल बोर्ड जब कभी आवश्यक हो, संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों से संपर्क करके ठेकेदारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है। विभिन्न हितधारकों की समन्वय बैठकें भी समय-समय पर शीघ्र मंजूरी हेतु की जाती है। हालांकि, उत्तर को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि यदि दिल्ली जल बोर्ड अपेक्षित क्लीयरेंसिस/अनुमोदन/ अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाता तो यह कीमती समय बचाता, जो क्लीयरेंसिस में विलंब होने पर बेकार हो जाता है तथा क्लीयरेंसिस प्राप्त करने में विलंब के लिए ठेकेदारों को लागत वृद्धि का भुगतान भी करना पड़ता है।

2.1.10.2 सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाना

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार व्यय संस्वीकृति से 10 *प्रतिशत* अधिक किया जा सकता है जिसके लिए संशोधित व्यय की संस्वीकृति अवश्य लेनी होगी। जैसे ही व्यय की अधिकता के बारे में पता चले वैसे ही संशोधित संस्वीकृति के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार भी ठेके संविदा की शर्तों में होने वाले महत्वपूर्ण सामग्री के विचलन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी तथा सीवर लाइनें बिछाने के ₹ 56.13 करोड़ की लागत के 19 कार्यों (620 में से) **(परिशिष्ट 2.6)** में व्यय, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किये गये प्रारंभिक व्यय स्वीकृति के 10 *प्रतिशत* से अधिक था। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी से व्यय की संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, जो के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन था।

साथ ही, रोहतक रोड़ पर अरविंद एन्क्लेव क्रासिंग तक बिछाई गई 1,080 मीटर सीवर लाइन के एक कार्य (जनवरी 2012 में ₹ 2.18 करोड़ में सौंपे गए) 86 मीटर की मुख्य सीवर लाइन को ओपेन-कट विधि, जैसा कि प्रारंभ में परिकल्पित किया गया था के स्थान पर ट्रेंचलेस तकनीकी के द्वारा बिछाना पड़ा था। क्योंकि प्रत्याशित अधिक व्यय मूल संस्वीकृति के 33 *प्रतिशत* से अधिक था इसलिए बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक था। हालांकि, बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने से बचने के लिए कार्य को पहले बंद करने का निर्णय लिया गया तथा बची हुई पाइपलाइन को ट्रेंचलेस विधि द्वारा बिछाने के लिए पृथक निविदायें आमंत्रित की गईं। यह भी देखा गया कि कार्य को मुख्य अभियन्ता जो कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी था, के स्थान पर सदस्य (ड्रेनेज) के अनुमोदन से बंद किया गया।

दिल्ली जल बोर्ड ने स्टेनलेस स्टील (एसएस) के पानी के टैंकरो को किराये पर लेने के एक मामले में तीन किलोलीटर क्षमता (₹ 98,001 प्रति टैंकर प्रति माह) तथा नौ किलोलीटर क्षमता (₹ 1,23,003 प्रति टैंकर प्रति माह) के क्रमशः 130 तथा 255 एसएस पानी के टैंकरो को किराये पर लेने का कार्य बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात सौंपा। तीन किलोलीटर तथा नौ किलोलीटर क्षमता के पानी के टैंकरो की संख्या में सदस्य (जल) द्वारा संशोधन (मार्च 2013 व दिसम्बर 2013) कर दिया गया तथा मंडलों द्वारा प्राप्त इस फीडबैक के आधार पर कि अनाधिकृत कॉलोनियो की संकरी गलियों में नौ किलोलीटर के टैंकर का प्रवेश मुश्किल है, तीन किलोलीटर के टैंकरो की संख्या 130 से बढ़ाकर 299 कर दी गई तथा नौ किलोलीटर के टैकंरो की संख्या 255 से घटाकर 108 कर दी गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि, इस संशोधन के परिणामस्वरूप परियोजना की क्षमता में महत्वपूर्ण विचलन हुआ तथा परिवहन लागत में ₹ 13.69 प्रति किलोलीटर प्रति किलोमीटर से ₹ 18.99 प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी हो गई, पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

अपने उत्तर में दिल्ली जल बोर्ड ने कहा (फरवरी 2019) कि दिल्ली जल बोर्ड में शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधित व्यय अनुमोदन प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्य सौंपते समय एवं कार्य निष्पादन पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली जाती है, इसलिए संशोधित व्यय अनुमोदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माना जाता है। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार व्यय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए, स्वीकृति चाहे मूल या संशोधित हो और संशोधित संस्वीकृति के लिए पृथक शक्तियों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता नहीं होती। पानी के टैंकरों को किराये पर लेने के मामले में दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि संशोधन के बाद कुल लागत छः *प्रतिशत* अधिक थी जो अधिनिर्णित लागत से कम थी और इसलिए बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लेखापरीक्षा के विचार से संशोधित अनुमोदन आवश्यक था क्योंकि संशोधन के परिणामस्वरूप टैंकरों की समग्र वहन क्षमता में काफी कमी आई अर्थात 2,685 कि.ली. से 1,869 कि.ली. जबकि कुल लागत में केवल मामूली कमी आई।

2.1.10.3 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

लेखापरीक्षा में कई मामलों में पाया गया कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया था जिनकी आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

- **विलंब के लिए ₹ 31.70 करोड़ की जुर्माना राशि का कम उद्ग्रहण/गैर-उद्ग्रहण**
  दिल्ली जल बोर्ड की संविदा की सामान्य शर्तों[19] के अनुसार, कार्यों में विलंब के लिए मुआवजा, संविदा की कीमत के 1.5 *प्रतिशत* की दर पर होगा, प्रत्येक माह के लिए विलंब की गणना प्रति दिन के आधार पर की जाती है, तथा अधिकतम मुआवजा संविदा की कीमत का 10 *प्रतिशत* तक हो सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ कार्यों में, ठेकेदारों द्वारा किये गये बिलंब के कारण लगाई गई जुर्माना राशि में ₹ 31.70 करोड़ की राशि का कम उदग्रहण या गैर-उदग्रहण हुआ **(परिशिष्ट 2.7)।**

  सरकार ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2019) कि प्रणाली के अनुसार किए गए कार्य की लागत का 10 *प्रतिशत* कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि के बाद तब तक रोका जाता है जब तक कि मामले की योग्यता के आधार पर मामले में अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में शामिल कुल आठ मामलों में से पांच

[19] जीसीसी के क्लॉज 10.3.1 के अनुसार

मामलों में सरकार ने कार्य पूरा करने में विलंब के लिए विभाग को या ठेकेदार के नियंत्रण से परे कारणों को जिम्मेवार ठहराया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलंब की आरोपणीय अवधियों को विभाग के अवरोध रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया या विलंब का कारण ठेकेदार के नियंत्रण से परे माना गया, जो उचित नहीं है। किए गए कार्य की लागत का 10 *प्रतिशत* रोक कर रखना संविदा की सामान्य शर्तों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

- **संविदा की शर्तों का पालन किये बिना भुगतान जारी किया गया:** संविदा की शर्तों के अनुसार पानी/सीवर लाइन के बिछाने के कार्य की 20 *प्रतिशत* लागत को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक प्रभारी अभियन्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए हाइड्रोलिक परीक्षण नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन चयनित मंडलों में ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइनों को बिछाया गया परंतु उन्हें शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि भूमिगत श्रोत जो इन पाइप लाइनों के लिए पानी के स्रोत थे, तब तक निर्माणाधीन थे।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मंडलों ने 21 कार्यों के मामले में पाइप लाइनों के हाइड्रोलिक परीक्षण के बिना तथा लागत के 20 *प्रतिशत* रोके बिना ठेकेदारों को ₹ 2.51 करोड़ की लागत राशि का अंतिम भुगतान किया गया **(परिशिष्ट 2.8)**।

- **सुरक्षा जमाओं को समय से पहले जारी करना:** दिल्ली जल बोर्ड की संविदा की सामान्य शर्तों (सा.श.) के अनुसार, ठेकेदारों के चालू लेखा बिलों से रोकी गयी सुरक्षा जमाओं को प्रभारी अभियन्ता के स्वयं की संतुष्टि के बाद प्रमाणीकरण पर ठेकेदार को इस आधार पर वापिस करना होगा कि संविदा की सभी शर्तें विधिवत और ईमानदारी से ठेकेदार द्वारा पूरी की गई हैं या दोषपूर्ण देयता अवधि (डीएलपी) के सफलतापूर्वक पूरा होने के 60 दिनों के बाद की गई है।

  लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 कार्यों में प्रभारी अभियन्ता द्वारा न तो कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया था और न ही कोई डीएलपी पूरा हुआ था **(परिशिष्ट 2.9)** क्योंकि इन कार्यों में से कोई भी अभी तक शुरू नहीं किया गया था (जुलाई 2018)। हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड ने ठेकेदारों को ₹ 25 लाख की राशि की सुरक्षा जमा जारी की, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला।

2.1.11 पानी के टैंकरो के प्रबंधन में कमी

दिल्ली जल बोर्ड ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान "अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराना" योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान में से टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति पर ₹ 1,031.09 करोड़ का व्यय किया।

दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में पानी की संपूर्ण टैंकर परिवहन प्रणाली के प्रबंधन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ इसकी क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से दो परियोजनाओं को लागू किया (i) जल टैंकर की जीपीएस निगरानी के साथ अन्य सुविधाएं जैसे कि जल स्तर संवेदक, फ्लोमीटर, क्लोरीन मीटर तथा स्मार्ट कार्ड के द्वारा पंहुच पर नियंत्रण आदि के लिए 'जल टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली' (डब्ल्यूटीडीएमएस), (ii) 10 वर्षो की अवधि के लिये स्टेनलेस स्टील के जल टैंकरो को किराये पर लेने के लिये 'जल टैंकर आपूर्ति सेवा' (डब्ल्यूटीएसएस), दिल्ली जल बोर्ड ने डब्ल्यूटीडीएमएस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली एकीकृत बहुस्तरीय माडल ट्रांजिट प्रणाली लिमिटेड (डीआईएमटीएस) का चयन किया (जून 2011)। डब्ल्यूटीडीएमएस परियोजना में 800 पानी के टैंकरों की

निगरानी को कवर करने के लिए योजना बनाई गई थी और न्यूनतम 700 पानी के टैंकरों के लिए भुगतान किया जाना था। डब्ल्यूटीएसएस के अंतर्गत, दिल्ली जल बोर्ड ने 407 टैंकर (अगस्त 2012) किराये पर लिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीआईएमटीएस के साथ किये गये करार के विपरीत, दिल्ली जल बोर्ड ने न्यूनतम 700 टैंकरो के प्रावधान के प्रति डब्ल्यूटीडीएमएस के अंतर्गत उपस्कर लगाने हेतु डब्ल्यूटीएसएस से डीआइएमटीएस को सिर्फ 407 टैंकर किराये पर उपलब्ध कराए। दिल्ली जल बोर्ड ने डीआईएमटीएस को इस आधार पर विभागीय टैंकर उपलब्ध नही कराये कि यह पुराने थे एवं 2013 से अप्रचलित हो जाने थे। हालांकि पुराने टैंकरो को बदलने हेतु जून 2016 में 250 स्टेनलेस स्टील टैंकर खरीदे गये थे, परंतु इन्हें डब्ल्यूटीडीएमएस के लिये डीआईएमटीएस को उपलब्ध नहीं कराया गया था। दिल्ली जल बोर्ड ने अल्पकालिक आधार पर 325 टैंकरो को भी किराये पर लिया था जो कि जीपीएस निगरानी के बगैर चल रहे थे।

दिल्ली जल बोर्ड एवं डीआईएमटीएस के बीच भुगतान की रूपरेखा नहीं बनाई गई थी क्योंकि डब्ल्यूटीडीएमएस के अंतर्गत 700 टैंकरो की न्यूनतम संख्या के विरूद्ध केवल 407 टैंकरों की निगरानी की जा रही थी, दिल्ली जल बोर्ड ने डीआईएमटीएस के साथ करार संविदा को 15 जनवरी 2018 को समाप्त कर दिया तथा डीआईएमटीएस से अनुरोध किया कि किसी अन्य वेण्डर को लगाये जाने तक वह जीपीएस सेवायें उपलब्ध कराता रहे। अक्तूबर 2019 तक, डीआईएमटीएस दिल्ली जल बोर्ड को जीपीएस सेवायें उपलब्ध करा रहा था।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले कुल 657 टैंकरों[20] में से 250 टैंकर (38 *प्रतिशत*) निगरानी करने वाले उपकरणों जैसे जीपीएस, जल स्तर मीटर/फ्लो मीटर/क्लोरीन मीटर आदि के बिना चल रहे थे। इस प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड फिलिंग पॉइन्टस पर जल अपव्यय में कमी, टैंकरों के माध्यम से आपूर्तित जल की गुणवत्ता तथा मात्रा के माप में सुधार तथा गैर-राजस्व जल में कमी के डब्ल्यूटीडीएमएस के इच्छित लाभों को प्राप्त करने में न केवल असफल रहा, बल्कि इसने पर्यावरण विभाग के दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया जिसके अनुसार सभी पानी के टैंकरों में जीपीएस उपकरणों को लगाया जाना चाहिए।

सभी जल टैंकरों में जलस्तर संवेदक एवं फ्लोमीटरों के न होने के कारण एवं अल्प अवधि के लिए किराये पर लिये गये टैंकरों में जीपीएस निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति से, चोरी एवं क्षति एवं गलत बिलों एवं अत्याधिक दावों का जोखिम अधिक है।

दिल्ली जल बोर्ड ने कहा (फरवरी 2019) कि 325 टैंकर अलग-अलग मालिकों से लघु अवधियों के लिए किराये पर लिए जाते थे और इसलिए इन टैंकरों में डब्ल्यूटीडीएमएस उपकरण नहीं लगाए गये थे। आगे यह भी कहा गया कि जीपीएस को छोड़कर डब्ल्यूटीडीएमएस के अंतर्गत निगरानी उपकरणों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था तथा वर्तमान में दीर्घकालिक आधार पर किराये पर रखे गए केवल 407 टैंकर ही जीपीएस से लैस हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डब्ल्यूटीडीएमएस परियोजना ने प्रभावी निगरानी, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति शुरू की पर इच्छित परिणाम प्रदान नहीं कर पाए क्योंकि 657 टैंकरों में से 250 टैंकर निगरानी तंत्र से बाहर थे।

[20] डब्ल्यूटीएसएस के अंतर्गत 407 एसएस टैंकर किराये पर लिये + 250 एसएस विभागीय टैंकर = 657 टैंकर

दिल्ली में पानी की सम्पूर्ण टैंकर परिवहन प्रणाली में प्रभावी प्रबंधन, जवाबदेही और पारदर्शिता हेतु डब्ल्यूटीडीएमएस की उचित कार्य पद्यति आवश्यक थी लेकिन अपनाई गई प्रणाली के अंतर्गत पानी के टैंकरों की सीमित कवरेज ने परियोजना को अप्रभावी बना दिया।

2.1.12 निरीक्षण एवं निगरानी तंत्र

2.1.12.1 कार्य की वास्तविक प्रगति की निगरानी का अभाव

शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्रों के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली जल बोर्ड को योजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु अनुदान जारी करने वाले अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे निष्पादित एजेंसियो के कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करें जिसके लिए अनुदान जारी किए गये थे। शहरी विकास विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान की किस्तें जारी करने से पहले वित्तीय प्रगति की निगरानी की। हालांकि, विभागीय स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति की कोई निगरानी नहीं की गई थी। शहरी विकास विभाग स्तर पर निगरानी की कमी के परि णामस्वरूप विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के बीच समन्वय/समक्रमण के अभाव में वन एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर कई अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी एवं सीवर की लाइनें बिछाई गईं।

दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित मंडल वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के मासिक प्रतिवेदन मुख्यालय भेजते हैं जिसमें पूर्ण हुए कार्यों की प्रतिशतता की प्रगति रिपोर्ट होती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इन रिपोर्टों की जाँच एवं विश्लेषण के लिए उचित कार्रवाई हेतु मुख्यालय में कोई प्रयास नहीं किए गए थे। मुख्यालय में अपर्याप्त जाँच एवं अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण इन प्रगति प्रतिवेदनों का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2019) कि मुख्य परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाती है। हालांकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार इस संबंध में आगामी कार्रवाई की जाएगी।

2.1.12.2 परियोजनाओं का निरीक्षण

संविदा की सामान्य शर्तों में अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने आठ मंडलों से अनुरोध किया कि वे साइट पर आने वाले अधिकारियों की टिप्पणियों को अंकित करने के लिए साइट पर निरीक्षण रजिस्टर रखें। हालांकि, तीन मंडलों[21] द्वारा इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, मंडलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए साइट निरीक्षण से संबंधित अभिलेख में पाया गया कि कार्यों की निष्पादन अवधि में अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा 41 सिविल कार्यों **(परिशिष्ट 2.10)** में किसी का भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

परियोजना स्थलों पर जाने वाले अधिकारियों की टिप्पणियों को दर्ज करने के लिए बनाए गए निरीक्षण रजिस्टर तीन मंडलों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे। पाँच मंडलों से संबंधित 41

---
[21] डीआर-III, डीआर-VIII, डीआर-XI

कार्यो में कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान अधीक्षण अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्य की कोई निगरानी नहीं की गई थी।

दिल्ली जल बोर्ड के अप्रैल 2007 के परिपत्र के अनुसार एक करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले कार्यों और ऐसे कार्यों जहां पर दरें असामान्य रूप से कम हैं, की जाँच तीसरे पक्ष द्वारा की जानी हैं। मंडलों द्वारा तैयार किए गए आकलनों में भी तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण का प्रावधान शामिल है। लेखापरीक्षा में जांचे गये एक करोड़ रूपये से अधिक लागत के 75 कार्यों में, तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण किया गया था। हालांकि, असामान्य रूप से कम दरों पर प्रदान किए गए 40 कार्यों **(परिशिष्ट 2.11)** से संबंधित उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि वरिष्ठ अधिकारियों जैसे अधिशाशी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा विभिन्न कार्यों की साइटों का निरीक्षण किया गया था तथा कार्य की वास्तविक प्रगति बढ़ाने के लिए कई मौखिक एवं लिखित निर्देश बार-बार दिए गए थे। जब सिस्टम कार्यशील था, वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियों को समय-समय पर दिल्ली जल बोर्ड के परियोजना निगरानी तंत्र में अपलोड किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा तीसरे-पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं पाए गए तथा टिप्पणियों को दर्ज नही किया गया था।

2.1.12.3 कार्य की कार्यक्रम अनुसूची का गैर-प्रस्तुतीकरण

संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 3.9 के संदर्भ में ठेकेदारों को एक करोड़ से तीन करोड़ रूपये के बीच की लागत वाले कार्यों के लिए बार चार्ट के रूप में तथा तीन करोड़ रूपये से ऊपर के सभी कार्यों के लिए बार चार्ट एवं पीईआरटी चार्ट का एक कार्य की कार्यक्रम अनुसूची, कार्य आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसा करने में विफल रहने पर ₹ 1000 प्रतिदिन की दर से जुर्माना लिया जाएगा। ठेकेदार को संविदा अवधि के दौरान प्रत्येक महीने की 1 और 15 तारीख को परियोजना प्रबंधन प्रणाली (गुणवत्ता निगरानी तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए) में दिए गए प्रारूप में ऑनलाइन प्रगति प्रतिवेदन भी दर्ज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को डीपीआर/अन्य प्रतिवेदन/बार या पीईआरटी चार्ट/साइट फोटोग्राफ भी, अन्यों के बीच, प्रत्येक महीने की 8 व 23 तारिख तक अपोलड करनी होती है और अभियंता द्वारा इन प्रविष्टियों की जाँच की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय एवं निर्धारित प्रारूप में प्रगति अंकित नहीं की गई है तो भुगतान जारी नहीं किया जाना चाहिए।

दिल्ली जल बोर्ड के चयनित मंडलों के अभिलेखो की जांच से पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 729.46 करोड़ की राशि के पानी एवं सीवर लाइन बिछाने के 36 कार्य सौंपे थे **(परिशिष्ट 2.12)**। हालांकि, ठेकेदारों ने कार्यक्रम अनुसूची (बार चार्ट) को निर्धारित प्रारूप में जमा नहीं किया था तथा यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्यक्रम अनुसूची के अभाव में कार्य करने की उपलब्धि एवं कार्य की प्रगति कैसे सुनिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त, दिल्ली जल बोर्ड ने ठेकेदारों को किए गए भुगतानों से ₹ 2.61 करोड़ की निर्धारित दर पर कार्यक्रम अनुसूची की गैर-प्रस्तुति पर जुर्माने की कटौती नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इन 36 कार्यों में से दस कार्यों को एक वर्ष से अधिक के विलंब के साथ पूरा किया गया था।

सरकार ने अपने उत्तर (फरवरी 2019) में 36 कार्यों में से केवल चार कार्यों के बार चार्टों की प्रतियाँ उपलब्ध कराईं तथा शेष 32 कार्यों के बारे में चुप्पी साध ली। इन चार कार्यों में, बार चार्ट बिना प्रगति प्रतिवेदनों तथा उसकी प्राप्ति समय सीमा के बाद प्रस्तुत किये गये थे।

निरीक्षण एवं निगरानी तंत्र में इंगित की गई कमियों के मामले लेखापरीक्षा द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित हैं। विभाग/सरकार द्वारा लेखापरीक्षा में समाविष्ट नहीं हुई बकाया मामलों की समान कमियों की भी जांच करें।

2.1.13 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्राप्त सहायता अनुदानों का अन्य उद्देश्यों के लिए अनियमित अपयोजन देखा गया। दिल्ली जल बोर्ड ने लेखापरीक्षा को सभी अनाधिकृत कॉलोनियों मे पाइप के द्वारा जल की आपूर्ति के लिए कोई मास्टर प्लान या परिप्रेक्ष्य प्लान उपलब्ध नहीं कराया जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि प्रोजेक्ट एक योजनागत तरीके से लागू किया गया। ऐसे बहुत से मामलें देखे गये जहां जल की आंतरिक लाइनें डाल दी गई थी, परंतु भूमिगत श्रोत या परिधीय जल की लाइनें अभी पूरी की जानी बाकी थीं, या इसके विपरीत था। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्य के गैर तालमेल के कुछ मामलों के कारण किया गया व्यय निष्फल रहा तथा सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को पाइप के द्वारा पेय जल की आपूर्ति की योजना के उद्देश्य अप्राप्त रहे। लेखापरीक्षा ने ऐसे भी मामले देखे जहां पानी की परिधीय लाइनें पाँच वर्षो से अधिक समय से क्रियात्मक है परंतु पानी की आंतरिक लाइनों की योजना अभी भी बनायी जानी है। इन मामलों में अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों ने अनाधिकृत पानी की लाइनें डाल ली थी, जिसके कारण आंतरिक पानी की लाइनें डालने का दिल्ली जल बोर्ड का कार्य दुष्कर हो सकता है।

सीवरेज मास्टर प्लान दिल्ली-2031 में सीवर लाइन कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहे थे। मार्च 2018 तक 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 567 अनाधिकृत कॉलोनियाँ अभी भी पीने योग्य पानी की आवश्यकताओं के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति पर तथा टयूबवैल/हैंडपम्पों पर निर्भर थे। सीवरेज क्षेत्र के मामले में, 1,573 अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को सीवरेज सुविधाओं से वंचित रखा गया था और इन अनाधिकृत कॉलोनियों का अनुपचारित गंदा पानी नालियों के माध्यम से यमुना नदी में जा रहा था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि दिल्ली जल बोर्ड ने सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करके वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि के अंतर्गत आने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी एवं सीवरेज लाइनों का काम किया और इसके परिणामस्वरूप 43 कार्यों को बीच में ही रोक दिया गया जिससे इन पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा में प्राक्कलनों की तैयारी तथा अनुमोदन एवं कार्य प्रदान करने में तथा कार्य के निष्पादन में विलंब के मामले, अयोग्य बिल्डरों का चयन एवं ठेकेदारों को बढ़ोत्तरी का अनुचित लाभ जैसी अनेक कमियां पाई गईं। दिल्ली में पानी के टैंकर की परिवहन प्रणाली प्रबंधन द्वारा दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता में सुधार के लिए आरंभ की गई, पानी टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली ने कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं किया तथा यह केवल टैंकरो की जीपीएस निगरानी तक ही सीमित था, जो केवल 62 *प्रतिशत* टैंकरों में ही था। कार्यों के निष्पादन में आ रही बाधाओं को पहचानने एवं इन्हें दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड को पीने योग्य पानी की आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान की परिकल्पना सुनिश्चित

करने के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने की योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की योजना एवं निष्पादन की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है।

2.1.14 सिफारिशें

दिल्ली जल बोर्ड

(i) *भूमिगत श्रोत और परिधीय लाइनों तथा ट्रंक इंटरसेप्टर सीवर के निर्माण कार्य का पानी तथा सीवर लाइनें बिछाने के कार्य के साथ तालमेल सुनिश्चित करे ताकि अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल आपूर्ति तथा सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य समय पर निष्पादित तथा प्रतिस्थापित किये जाएं;*

(ii) *वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को किये जाने पर लगी रोक के सरकारी निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करे;*

(iii) *टैंकर के द्वारा जल आपूर्ति में प्रभावी निगरानी, जबाबदेही तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करे; एवं*

(iv) *मुख्यालय पर कार्यों की निगरानी को मजबूत करें ताकि अन्य विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली रुकावटों को चिन्हित कर कम कर सके।*